अनुदान संख्या 58 – उच्च शिक्षा विभाग
GRANT No. 58–DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue**:					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	10852,87,00		11407,63,00	11222,49,09	–185,13,91
पूरक	Supplementary	554,76,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					156,49,63

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (18513.91 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 55476.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 33 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 2 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (Rs.18513.91 lakhs) constituted 33 percent of the supplementary grants of Rs.55476.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 2 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	Major Head "2251" Secretariat – Social Services				
मू.	O.	4990.00			
पू.	S.	962.00	5229.82	5022.41	–207.41
पु.	R.	–722.18			
मुख्य शीर्ष "2202" सामान्य शिक्षा	Major Head "2202" General Education				
मू.	O.	602426.00			
पू.	S.	36114.00	670143.86	668745.86	–1398.00
पु.	R.	31603.86			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2203" तकनीकी शिक्षा	Major Head "2203" Technical Education				
मू.	O.	386024.00			
पू.	S.	18396.00	424724.10	423898.38	–825.72
पु.	R.	20304.10			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	76900.00			
पू.	S.	2.00	2739.88	2650.00	–89.88
पु.	R.	–74162.12			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	14934.00			
पू.	S.	2.00	22271.71	21930.64	–341.07
पु.	R.	7335.71			

(I) 82865.00 लाख रु. का प्रावधान छप्पन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिनमें से 81850.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2202" - "विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - अन्य व्यय - शिक्षा कर्ज ब्याज आर्थिक सहायता" - 200.00 लाख रु.; और

(खा) मुख्य शीर्ष "2203" -

(क) "पालिटेक्निक्स" -

(i) "वर्तमान पालिटेक्निक्स का उन्नयन/नए पालिटेक्निक्स की स्थापना" - 900.00 लाख रु.।

(I) Provision of Rs.82865.00 lakhs remained wholly unutilised under fifty six heads; of these Rs.81850.00 lakhs accounted for under the following major heads: -

(A) Major Head "2202" – "University and Higher Education - Other Expenditure - Educational Loan Interest Subsidy"- Rs.200.00 lakhs; and

(B) Major Head "2203"-

(a) "Polytechnics" -

(i) "Up gradation of existing/setting up of new polytechnics" - Rs.900.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) ''पालिटेक्निक्स में महिला छात्रावास'' - 450.00 लाख रु. प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(ख) ''इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान'' -

(i) ''नए और उभरते हुए तकनीकी क्षेत्रों को सहायता'' - 500.00 लाख रु.;

(ii) ''दूरस्थ शिक्षा और वेब आधारित शिक्षण को सहायता'' - 2000.00 लाख रु.;

(iii) ''नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना'' - 2140.00 लाख रु.; और

(ग) ''अन्य व्यय - सीमांत क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान'' - 900.00 लाख रु.।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - विश्वविद्यालयों को सहायता'' -

(i) ''राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय)'' - 1200.00 लाख रु.;

(ii) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय विश्वविद्यालय इत्यादि'' - 34445.00 लाख रु.;

(ख) ''भाषा विकास - निदेशन और प्रशासन - केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केंद्र'' - 340.00 लाख रु.;

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of approval of the scheme from competent authority.

(ii) "Women's Hostel in Polytechnics" - Rs.450.00 lakhs - due to non-receipt of proposals.

(b) "Engineering, Technical Colleges and Institutes"-

(i) "Support to New and Emerging Technology Areas" – Rs.500.00 lakhs;

(ii) "Support to Distance Education and Web-based Learning" – Rs.2000.00 lakhs;

(iii) "Setting up of New Indian Institutes of Information Technology" - Rs.2140.00 lakhs; and

(c) "Other Expenditure – Training & Research in Frontier Areas" – Rs.900.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to non-receipt of approval of the scheme.

(C) Major Head "2552" –

(a) "University & Higher Education – Assistance to Universities"-

(i) "Establishment of National University (Indira Gandhi National Open University)" - Rs.1200.00 lakhs;

(ii) "University Grants Commission, Central Universities etc." - Rs.34445.00 lakhs;

(b) "Language Development - Direction & Administration - Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centres"-Rs.340.00 lakhs;

(ग) ''भाषा विकास - आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन'' -

(i) ''भाषा शिक्षकों की नियुक्ति'' - 425.00 लाख रु.;

(ii) ''राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद'' - 190.00 लाख रु.;

(घ) ''सामान्य (सामान्य शिक्षा) - छात्रवृत्ति - कालेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति'' - 500.00 लाख रु.;

(ङ) ''तकनीकी शिक्षा - पालिटेक्निक्स'' -

(i) ''गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम को अनुदान - सामुदायिक पालिटेक्निक्स'' - 196.00 लाख रु.;

(ii) ''वर्तमान पालिटेक्निक्स का उन्नयन/नए पालिटेक्निक्स की स्थापना'' - 1100.00 लाख रु.;

(च) ''तकनीकी शिक्षा - इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान'' -

(i) ''भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 15035.00 लाख रु.;

(ii) ''भारतीय प्रबंधन संस्थान'' - 1000.00 लाख रु.;

(iii) ''केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकड़ाझाड़'' - 999.00 लाख रु.;

(iv) ''अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद'' - 1670.00 लाख रु.; और

(v) ''राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 9000.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तेरह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(c) "Language Development - Promotion of Modern Indian Languages and Literature"-

(i) "Appointment of Language Teachers"- Rs.425.00 lakhs;

(ii) "National Council for Promotion of Urdu Language"- Rs.190.00 lakhs;

(d) "General (General Education) – Scholarships - Scholarship for College & University Students"- Rs.500.00 lakhs;

(e) "Technical Education- Polytechnics"-

(i) "Grants of Quality Improvement Programme-Community Polytechnics"- Rs.196.00 lakhs;

(ii) "Upgradation of Existing/Setting up of New Polytechnics"- Rs.1100.00 lakhs;

(f) "Technical Education - Engineering, Technical Colleges and Institutes" -

(i) "Indian Institutes of Technology" - Rs.15035.00 lakhs;

(ii) "Indian Institutes of Management" - Rs.1000.00 lakhs;

(iii) "Central Institute of Technology (CIT) Kokrajhar" - Rs.999.00 lakhs;

(iv) "All India Council of Technical Education (AICTE)" - Rs.1670.00 lakhs; and

(v) "National Institutes of Technology (NIT)" – Rs.9000.00 lakhs.

Provision under the above thirteen heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(vi) ''नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना'' - 860.00 लाख रु. और

(vii) ''भारतीय प्रबंधन संस्थान'' - 200.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(छ) ''सामान्य (सामान्य शिक्षा) - अनुसंधान-भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद'' - 250.00 लाख रु.; और

(ज) ''तकनीकी शिक्षा - प्रशिक्षण'' -

(i) ''प्रशिक्षु प्रशिक्षण छात्रवृति और वृत्तिका संबंधी कार्यक्रम'' - 375.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीम के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ii) ''राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान'' - 300.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक आवश्यकताओं को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(झ) ''सामान्य (सामान्य शिक्षा) - अन्य व्यय'' -

(i) ''आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन'' - 5020.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(ii) ''क्षेत्रीय सघनता और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम'' - 956.00 लाख रु. (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) थे; और

(vi) "Setting up of New Indian Institutes of Information Technology" – Rs.860.00 lakhs; and

(vii) "Indian Institutes of Management"- Rs.200.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of approval of the scheme.

(g) "General (General Education) – Research - Indian Council of Social Science Research"- Rs.250.00 lakhs; and

(h) "Technical Education- Training"-

(i) "Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends"- Rs.375.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of proposals from North Eastern Region under the scheme.

(ii) "National Institute of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs)" - Rs.300.00 lakhs – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(i) "General (General Education) – Other Expenditure"-

(i) "National Mission in Education through ICT"- Rs.5020.00 lakhs – due to non-receipt of sufficient proposals from North Eastern Region States.

(ii) "Area Intensive & Madrasa Modernisation Programme" – Rs.956.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh); and

(ञ) ''तकनीकी शिक्षा - पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास - पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान, इटानगर'' - 699.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2202'' - ''भाषा विकास'' -

(क) ''निदेशन और प्रशासन - वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग'' - 605.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 55.25 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 660.25 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 95.57 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) वेतन के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य व्यय - केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केंद्र'' - 1017.37 लाख रु. के मूल प्रावधान को 154.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1171.37 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 608.65 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) भाषाई डाटा संघ-आईएल, राष्ट्रीय अनुवाद मिशन और पाली का विकास की स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2203'' -

(j) "Technical Education – Development of North Eastern Areas - North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar" – Rs.699.00 lakhs.

Provision under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head "2202" – "Language Development"-

(a) "Direction & Administration - Commission for Scientific and Technical Terminology" - the original provision of Rs.605.00 lakhs was augmented to Rs.660.25 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.55.25 lakhs. However, there was a saving of Rs.95.57 lakhs (including supplementary grant) – due to requirement of less funds towards salary.

(b) "Other Expenditure - Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centres" –the original provision of Rs.1017.37 lakhs was augmented to Rs.1171.37 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.154.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.608.65 lakhs (including supplementary grant) - due to non-receipt of approval of the scheme of Linguistic Data Consortium – IL, National Translation Mission and Development of Pali.

(B) Major Head "2203"-

(क) ''विश्वविद्यालयों को तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता - भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर को अनुदान'' - 22100.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 1267.10 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 23367.10 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 2470.10 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई;

(ख) ''इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान'' -

(i) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुंबई'' - 5100.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 324.10 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 5424.10 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 634.10 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई;

(ii) ''योजना और वास्तुशिल्प विद्यालय'' - 2700.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 194.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2894.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 1289.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई;

(iii) ''संत लोंगोवाल इंजीनियरी और तकनीकी संस्थान'' - 3200.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 275.10 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 3475.10 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 712.27 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(iv) ''भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद'' - 5525.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 392.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 5917.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 392.00 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(a) "Assistance to Universities for Technical Education – Grants to Indian Institute of Science, Bangalore" - the original provision of Rs.22100.00 lakhs was augmented to Rs.23367.10 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.1267.10 lakhs. However, there was a saving of Rs.2470.10 lakhs (including supplementary grant);

(b) "Engineering, Technical Colleges and Institutes" -

(i) "National Institute of Industrial Engineering, Mumbai" - the original provision of Rs.5100.00 lakhs was augmented to Rs.5424.10 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.324.10 lakhs. However, there was a saving of Rs.634.10 lakhs (including supplementary grant);

(ii) "School of Planning and Architecture" - the original provision of Rs.2700.00 lakhs was augmented to Rs.2894.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.194.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.1289.00 lakhs (including supplementary grant);

(iii) "Sant Longowal Institute of Engineering and Technology" - the original provision of Rs.3200.00 lakhs was augmented to Rs.3475.10 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.275.10 lakhs. However, there was a saving of Rs.712.27 lakhs (including supplementary grant); and

(iv) "Indian Institute of Information Technology, Allahabad" - the original provision of Rs.5525.00 lakhs was augmented to Rs.5917.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.392.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.392.00 lakhs (including supplementary grant).

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें संस्थान में निर्माण कार्यकलापों की धीमी गति होने के कारण हुईं।

(ग) ''राष्ट्रीय फाउंड्री और फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची'' - 2150.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 165.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2315.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, 357.75 लाख रु. की बचत (पूरक अनुदान सहित) उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2251'' - ''सचिवालय - उच्च शिक्षा विभाग'' - 4990.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 962.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 5952.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, जो वेतन एवं भत्तों, कार्यालय व्यय और दौरे के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, कैंटीन स्टाफ से कम मांग प्राप्त होने, विज्ञापन एवं प्रचार संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 929.59 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2202'' -

(क) ''विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - उच्च शिक्षण संस्थान - भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला'' - 720.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 96.10 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 816.10 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण 67.83 लाख रु. की सीमा तक अपुयक्त रहा।

(ख) ''भाषा विकास - निदेशन और प्रशासन - हिंदी निदेशालय'' - 634.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को

Savings under the above five heads were due to slow pace of construction activities at the Institute.

(c) "National Institute for Foundry and Forge Technology, Ranchi" - the original provision of Rs.2150.00 lakhs was augmented to Rs.2315.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.165.00 lakhs. However, there was a saving of Rs.357.75 lakhs (including supplementary grant) – due to non-receipt of utilisation certificates.

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2251" – "Secretariat – Department of Higher Education" – the original provision of Rs.4990.00 lakhs was augmented to Rs.5952.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.962.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.929.59 lakhs – due to requirement of less funds towards pay & allowances, office expenses and traveling, less demand received from canteen staff, non-finalization of proposals for advertisement & publicity and economy measures.

(B) Major Head "2202" –

(a) "University and Higher Education - Institute of Higher Learning - Indian Institute of Advanced Studies, Shimla" - the original provision of Rs.720.00 lakhs was augmented to Rs.816.10 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.96.10 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.67.83 lakhs – due to availability of unspent balance of previous year.

(b) "Language Development - Direction & Administration – Directorate of Hindi" -

198.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 832.00 लाख रु. कर दिया गया। तथापि, जो वेतन, चिकित्सा उपचार और कार्यालय व्यय के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण 68.81 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

the original provision of Rs.634.00 lakhs was augmented to Rs.832.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.198.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.68.81 lakhs – due to requirement of less funds towards salary, medical treatment and office expenses.

(गा) मुख्य शीर्ष "2203" -

(C) Major Head "2203" -

(क) "प्रशिक्षण - प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, मुंबई, कलकत्ता, कानपुर और चेन्नई" - 662.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 87.10 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 749.10 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो इसकी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण 36.43 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(a) "Training - Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai" - the original provision of Rs.662.00 lakhs was augmented to Rs.749.10 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.87.10 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.36.43 lakhs – due to receipt of less number of proposals under its various schemes.

(ख) "इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान" -

(b) "Engineering, Technical Colleges and Institutes" –

(i) "भारतीय खान विद्यालय, धनबाद" - 10300.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 485.10 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 10785.10 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 165.10 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(i) "Indian School of Mines, Dhanbad" - the original provision of Rs.10300.00 lakhs was augmented to Rs.10785.10 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.485.10 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.165.10 lakhs; and

(ii) "भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर" - 2400.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 149.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2549.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 144.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ii) "Indian Institute of Information Technology & Management, Gwalior" - the original provision of Rs.2400.00 lakhs was augmented to Rs.2549.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.149.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.144.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संस्थान में निर्माण कार्यकलापों की धीमी गति होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to slow pace of construction activities at the Institute.

(4) मुख्य शीर्ष "2202" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा - विश्वविद्यालयों को सहायता - राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय)" - 2222.00 लाख रु. की बचत (10900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने और व्यय की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(खा) "भाषा विकास - आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन - तमिल भाषा का विकास" - 900.15 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम का संशोधन किए जाने की वजह से व्यय की धीमी गति होने के कारण हुई।

(गा) "सामान्य" -

(क) "अनुसंधान - बौद्धिक सम्पति शिक्षा, अनुसंधान और लोक अग्रसरण संबंधी स्कीम" - 250.66 लाख रु. की बचत (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुदानग्राही संगठन से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "छात्रवृतियां - कालेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृति" - 1459.86 लाख रु. की बचत (4500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान करने में विलंब किए जाने के कारण हुई।

(ग) "अन्य व्यय - आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन" - 9077.50 लाख रु. की बचत (45180.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलंब होने और इसकी विभिन्न स्कीमों के अधीन कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2203" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2202" – savings occurred under the following heads:-

(A) "University and Higher Education – Assistance to Universities - Establishment of National University (Indira Gandhi National Open University)"- saving of Rs.2222.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10900.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous years and slow pace of expenditure.

(B) "Language Development – Promotion of Modern Indian Languages and Literature - Development of Tamil Language"- saving of Rs.900.15 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs) was due to slow pace of expenditure owing to revision of scheme.

(C) "General" –

(a) "Research - Scheme for Intellectual Property Education, Research and Public Outreach" – saving of Rs.250.66 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals from grantee organization.

(b) "Scholarships – Scholarship for College & University Students" - saving of Rs.1459.86 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4500.00 lakhs) was due to delay in receipt of approval of scheme from competent authority.

(c) "Other Expenditure – National Mission in Education through ICT" – saving of Rs.9077.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.45180.00 lakhs) was due to delay in receipt of approval of the scheme and receipt of less number of proposals under its various schemes.

(V) Under Major Head "2203" – savings occurred under the following heads:-

(का) ''पालिटेक्निक्स - गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए अनुदान - सामुदायिक पालिटेक्निक्स'' - 1669.13 लाख रु. की बचत (1754.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पालिटेक्निक्स से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Polytechnics - Grants for Quality Improvement Programme - Community Polytechnics" - saving of Rs.1669.13 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1754.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from polytechnics.

(खा) ''इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान'' -

(B) "Engineering, Technical Colleges and Institutes" -

(क) ''कांचीपुरम स्थित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान'' - 300.00 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing at Kanchipuram" – saving of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs);

(ख) ''जबलपुर स्थित भारतीय सूचना प्रौद्यागिकी संस्थान'' - 208.00 लाख रु. की बचत (2600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "Indian Institute of Information Technology at Jabalpur"- saving of Rs.208.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2600.00 lakhs); and

(ग) ''नए भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना'' - 789.07 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(c) "Setting up of New Indian Institutes of Management (IIMs)" - saving of Rs.789.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें संस्थानों में निर्माण कार्यकलापों की धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

Savings under the above three heads were due to slow pace of construction activities at the Institutes.

(घ) ''योजना और वास्तुशिल्प के नए विद्यालयों की स्थापना'' - 800.00 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब होने के कारण हुई।

(d) "Setting up of New Schools of Planning & Architecture" - saving of Rs.800.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to delay in receipt of approval from competent authority.

(गा) ''अन्य व्यय - तकनीकी शिक्षा - भारत सरकार की गुणवत्ता सुधार परियोजना'' - 3740.00 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना के चरण II को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(C) "Other Expenditure - Technical Education – Quality Improvement Project of Government of India (EAP)" – saving of Rs.3740.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to non-finalisation of phase-II of the project.

(VI) मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) "योजनेतर अनुदान - माध्यमिक शिक्षा - छात्रवृत्तियां - हिन्दी में मैट्रिकोत्तर के बाद अध्ययन के लिए गैर हिन्दी भाषी राज्यों के विद्यार्थियो को छात्रवृत्ति" - 106.69 लाख रु. की बचत (140.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान- भाषा विकास- आधुनिक भारतीय भाषा और साहित्य का संवर्धन - भाषा शिक्षकों की नियुक्ति"-1169.92 लाख रु. की बचत (1173.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

(VII) दो शीर्षों के अंतर्गत 161.75 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक लेकिन 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 33 प्रतिशत और 41 प्रतिशत थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (91760.65 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 36120.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2202"-

(क) "विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा" -

(i) "विश्वविद्यालयों को सहायता"-

(1) "ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना" - 76.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 75.65 लाख रु. था।

(VI) Under Major Head "3601" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Non-plan Grants – Secondary Education- Scholarships – Scholarship to Students from Non-Hindi Speaking States for Post Matric Studies in Hindi"-– saving of Rs.106.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.140.00 lakhs); and

(B) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Language Development-Promotion of Modern Indian Language and Literature-Appointment of Language Teachers"- saving of Rs.1169.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1173.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less number of proposals from State Governments.

(VII) Under two heads savings of Rs.161.75 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 33 percent and 41 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.91760.65 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.36120.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2202" –

(a) "University and Higher Education" –

(i) "Assistance to Universities" –

(1) "Establishment of Rural Universities" – Rs.76.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.75.65 lakhs.

(2) ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय विश्वविद्यालय'' - 44347.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 44346.55 लाख रु. था।

(ii) ''अन्य व्यय - भारतीय संयुक्त राष्ट्र शिक्षा संस्था को आयकर और सीमा शुल्क की वापसी'' - 61.31 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 61.21 लाख रु. था।

(ख) ''भाषा विकास - आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन'' -

(i) ''अन्य स्कीमें'' - 106.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 105.75 लाख रु. था।

(ii) ''केंद्रीय तमिल शास्त्रीय संस्थान, चेन्नई'' - 150.00 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2203'' -

(क) ''प्रशिक्षण - राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान'' - 212.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 211.90 लाख रु. था।

(ख) ''इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान'' -

(i) ''भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 16941.50 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 16941.40 लाख रु. था।

(ii) ''भारतीय प्रबंधन संस्थान'' - 863.18 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 863.08 लाख रु. था।

(iii) ''शिक्षा अनुसंधान के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान'' - 2500.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2499.75 लाख रु. था।

(iv) ''तीन नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना'' - 1000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 999.75 लाख रु. था।

(2) "University Grant Commission, Central Universities"- Rs.44347.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.44346.55 lakhs.

(ii) "Other Expenditure – Refund of Income Tax and Customs Duty to United States Education Foundation of India" – Rs.61.31 lakhs. Actual excess, however, was Rs.61.21 lakhs.

(b) "Language Development - Promotion of Modern Indian Languages and Literature" –

(i) "Other Schemes"- Rs.106.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.105.75 lakhs.

(ii) "Central Institutes of Classical Tamil (CICT), Chennai"- Rs.150.00 lakhs.

(B) Major Head "2203"-

(a) "Training-National Institutes of Technical Teachers Training & Research (NITTTRs)" - Rs.212.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.211.90 lakhs.

(b) "Engineering, Technical Colleges and Institutes"-

(i) "Indian Institutes of Technology" - Rs.16941.50 lakhs. Actual excess, however, was Rs.16941.40 lakhs.

(ii) "Indian Institutes of Management" – Rs.863.18 lakhs. Actual excess, however, was Rs.863.08 lakhs.

(iii) "Indian Institutes of Science for Education Research" – Rs.2500.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2499.75 lakhs.

(iv) "Setting up of three New IITs" – Rs.1000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.999.75 lakhs.

(v) ''अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद'' - 4497.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4566.75 लाख रु. था।

(vi) ''राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान'' - 12649.16 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 12569.06 लाख रु. था।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2552'' - ''पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास - पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर'' - 1349.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1348.00 लाख रु. था।

(घा) मुख्य शीर्ष ''3601'' -

(क) ''योजनेतर अनुदान - विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-अन्य अनुदान - विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के वेतनमान में सुधार'' - 4986.25 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4652.00 लाख रु. था।

(ख) ''केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सामान्य शिक्षा-अन्य अनुदान - क्षेत्र सघनता और मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम'' - 2022.25 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2021.25 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2202'' -

(क) ''भाषा विकास - निदेशन और प्रशासन - केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केंद्र'' - 274.69 लाख रु. का अधिक व्यय (136.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2528.63 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) ''सामान्य - अनुसंधान - भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद'' - 250.00 लाख रु. का अधिक व्यय (202.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित

(v) "All India Council for Technical Education (A.I.C.T.E.)" – Rs.4497.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4566.75 lakhs.

(vi) "National Institutes of Technology (NITs)" – Rs.12649.16 lakhs. Actual excess, however, was Rs.12569.06 lakhs.

(C) Major Head "2552"- "Development of North Eastern Areas -North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar" – Rs.1349.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1348.00 lakhs.

(D) Major Head – "3601"-

(a) "Non-plan Grants – University & Higher Education - Other Grants – Improvement in the Pay Scale of University and College Teachers" – Rs.4986.25 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4652.00 lakhs.

(b) "Grants for Central Plan Schemes - General Education - Other Grants – Area Intensive & Madarsa Modernisation Programme" - Rs.2022.25 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2021.25 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2202" –

(a) "Language Development – Direction and Administration - Central Institute of Indian Lanauges, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centres" – excess of Rs.274.69 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2528.63 lakhs including supplementary grant of Rs.136.00 lakhs);

(b) **"**General-Research - Indian Council of Social Science Research" - excess of Rs.250.00 lakhs (against the total

5052.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) मुख्य शीर्ष "2203'' - "इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान - केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकड़ाझाड़'' - 1498.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552'' से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601'' - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - तकनीकी शिक्षा - पालिटेक्निक्स - वर्तमान पालिटेक्निक्स के उन्नयन/नए पालिटेक्निक्स की स्थापना के लिए सहायता'' - 1599.00 लाख रु. का अधिक व्यय (9000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552'' से कार्यात्मक शीर्ष को किए जाने और नए पालिटेक्निक्स की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत को पूरा किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत 99.00 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 14 प्रतिशत था।

sanctioned provision of Rs.5052.00 lakhs including supplementary grant of Rs.202.00 lakhs); and

(B) Major Head "2203" – "Engineering, Technical Colleges and Institutes - Central Institute of Technology (CIT), Kokrajhar" – excess of Rs.1498.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes - Technical Education - Polytechnics – Assistance for upgradation of existing/setting of New Polytechnics" – excess of Rs.1599.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9000.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds to meet capital cost for establishment of new polytechnics.

(II) Under one head excess of Rs.99.00 lakhs occurred constituting 14 percent of the sanctioned provision.